दिनांक- 08.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 157/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़- थाना पनवाड़ी

थाना पनवाड़ी की पुलिस टीम ने अवैध देशी शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना पनवाड़ी श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित उ0नि0 पवन गौड़ मय हमराह कां0 इन्द्रपाल चौहान के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त बसंत लाल पुत्र स्व0 रामदयाल राजपूत निवासी ग्राम बुडौरा थाना पनवाडी जनपद महोबा जिसके कब्जे से एक कपडे के झोले मे 18 अदद पाउच देशी शराब झूम ब्राण्ड नाजायज बरामद करते हुये ग्राम बुडौरा मोड के पास नौगांव फदना मार्ग पर बह्द ग्राम नौंगाव से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 66/2026 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 पवन गौड़

2.कां0 इन्द्रपाल चौहान

बरामदगी –

अभियुक्त के कब्जे से एक कपडे के झोले मे 18 अदद पाउच देशी शराब झूम ब्राण्ड नाजायज बरामद होना।

गिरफ्तार अभियुक्त-

बसंत लाल पुत्र स्व0 रामदयाल राजपूत उम्र 70 वर्ष निवासी ग्राम बुडौरा थाना पनवाडी जनपद महोबा

दिनांक- 08.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 158/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़- थाना अजनर

थाना अजनर की पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक जनपद महोबा श्री शशांक सिंह के नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकान्त गोंड के पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अजनर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

थानाध्यक्ष थाना अजनर श्री सुभाष चन्द्र द्वारा गठित टीम उ0नि0 रावेन्द्र कुमार मिश्र, हे0का0 जयप्रकाश यादव व का0 राहुल अग्निहोत्री द्वारा माननीय न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/एफ0टी0सी0/महिला न्यायालय महोबा द्वारा निर्गत एनबीडब्ल्यू (NBW) मु0सं0 36/2020, अ0सं0 28/2018 धारा 504, 506, 354 भादवि से संबंधित वारण्टी अभियुक्त ओमप्रकाश उर्फ भिम्मा पुत्र मदन राजपूत उम्र लगभग 30 वर्ष निवासी ग्राम गुढ़ा थाना अजनर जनपद महोबा को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय महोबा के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः

1. उ0नि0 रावेन्द्र कुमार मिश्र
2. हे0का0 जयप्रकाश यादव
3. का0 राहुल अग्निहोत्री

अपराध विवरणः

मु0सं0: 36/2020

अ0सं0: 28/2018

धाराएं: 504, 506, 354 भादवि

गिरफ्तार अभियुक्तः

ओमप्रकाश उर्फ भिम्मा पुत्र मदन राजपूत, उम्र लगभग 30 वर्ष निवासी ग्राम गुढ़ा, थाना अजनर, जनपद महोबा

दिनांक- 08.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 159/26

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक 05.06.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।

जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।

साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।

महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ

दिनांक- 08.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 160/26

महोबा पुलिस

कानून-व्यवस्था एवं बैंकिंग सुरक्षा के दृष्टिगत महोबा पुलिस द्वारा चलाया गया बैंक चेकिंग अभियान...।

- आज दिनांक 08.06.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निर्देशन में, रविवार की साप्ताहिक अवकाश के उपरांत सोमवार को बैंक खुलते ही जनपद महोबा में बैंक चेकिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान बैंकिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से संचालित किया गया।
- अभियान के दौरान महोबा पुलिस द्वारा बैंकों के अंदर एवं बाहर संदिग्ध व्यक्तियों, बैंक में आने-जाने वाले ग्राहकों तथा वाहनों की सघन जांच की गई। साथ ही बैंक परिसरों में लगे सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता, सुरक्षा गार्डों की तैनाती एवं अन्य सुरक्षा प्रबंधों का भी निरीक्षण किया गया।
- पुलिस अधिकारियों द्वारा बैंक प्रबंधकों एवं कर्मचारियों को सतर्क रहने तथा किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने के निर्देश दिए गए।
- इसी क्रम में जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारीगण द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में बैंक चेकिंग की गई, जिसमें संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की जांच की गई तथा ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को सुरक्षा एवं सतर्कता के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। इसके साथ ही आमजन को साइबर ठगी से बचाव के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देकर जागरूक किया गया।
- इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग लेन-देन के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करना एवं अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाना है। महोबा पुलिस द्वारा आम जनता से अपील की गई है कि वे सतर्क रहें तथा किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें।

दिनांक- 08.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 161/26

महोबा पुलिस

ऑपरेशन कन्विक्शनः मृत्युदण्ड दिलाने वाले पैरोकार को पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्रशास्ति पत्र प्रदान कर किया गया सम्मानित।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित अभियान "OPERATION CONVICTION" के अंतर्गत थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 300/2023 धारा 302 भा0द0वि0 से संबंधित जघन्य हत्याकांड में अभियुक्त देवेन्द्र विश्वकर्मा को माननीय न्यायालय द्वारा मृत्युदण्ड (फांसी की सजा) एवं ₹50,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मुख्य आरक्षी प्रेम बाबू द्विवेदी, पैरोकार थाना कोतवाली नगर महोबा को आज दिनांक 08.06.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण में पैरोकार द्वारा अभियोजन पक्ष एवं विवेचक के साथ सतत समन्वय स्थापित करते हुए प्रभावी पैरवी में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया, जिसके फलस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध पाते हुए मृत्युदण्ड की सजा सुनाई गई।

पुलिस अधीक्षक महोबा ने पैरोकार के कार्यों की सराहना करते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार निष्ठा, समर्पण एवं उत्तरदायित्व के साथ कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया तथा कहा कि प्रभावी पैरवी एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना अपराधियों को कठोर दण्ड दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

"अपराधियों को सजा दिलाना ही पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है।"

दिनांक- 08.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 162/26

महोबा पुलिस

उ०प्र० पुलिस आरक्षी भर्ती (एनरोलमेंट-2025) लिखित परीक्षा का प्रथम दिवस जनपद महोबा में सकुशल, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न।

उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा प्रस्तावित उ०प्र० पुलिस आरक्षी भर्ती (एनरोलमेंट-2025) लिखित परीक्षा के प्रथम दिवस को जनपद महोबा में सकुशल, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराया गया।

परीक्षा के सुचारू एवं सुरक्षित संचालन हेतु जिलाधिकारी महोबा श्रीमती गजल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह द्वारा जनपद के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी, अभ्यर्थियों की सघन चेकिंग, प्रवेश प्रक्रिया, बैठने की व्यवस्था एवं परीक्षा कक्षों की व्यवस्थाओं को परखा गया तथा संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
जनपद में परीक्षा को नकलविहीन, शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित वातावरण में सम्पन्न कराने हेतु पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है तथा प्रत्येक केन्द्र पर सतर्कता बनाए रखी जा रही है।

उपस्थिति विवरण (प्रथम दिवस):

- प्रथम पाली में कुल 1552 अभ्यर्थी उपस्थित रहे, जबकि 512 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।
- द्वितीय पाली में कुल 1547 अभ्यर्थी उपस्थित रहे, जबकि 517 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।

परीक्षा आगामी दिनों में भी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संचालित की जाएगी। जनपद प्रशासन एवं पुलिस द्वारा परीक्षा की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं निरंतर लागू रखी जाएंगी।

दिनांक- 08.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 163/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी- थाना श्रीनगर

मामूली विवाद में पिता की हत्या करने वाले वांछित अभियुक्त को थाना श्रीनगर पुलिस ने किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह द्वारा वारण्टी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमती बन्दना सिंह अपर पुलिस अधीक्षक महोबा के पर्यवेक्षण एवं श्री दीपक दुबे क्षेत्राधिकारी चरखारी के कुशल नेतृत्व में थानाध्यक्ष श्रीनगर जयचन्द्र सिंह द्वारा गठित पुलिस टीम द्वारा एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है।

घटना का विवरण :

दिनांक 07.06.2026 को थाना क्षेत्र के ग्राम सिजहरी में अभियुक्त महेश द्वारा शराब के नशे में अपने पिता हरीहर पुत्र स्व0 नथुवा उम्र करीब 58 वर्ष के साथ गाली-गलौज की जा रही थी। गाली देने से मना करने पर अभियुक्त महेश आवेश में आ गया तथा ईंट से अपने पिता के सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे वह अचेत होकर सड़क पर गिर पड़े। परिजनों द्वारा तत्काल उन्हें उपचार हेतु जिला अस्पताल महोबा ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर द्वारा हरीहर को मृत घोषित कर दिया गया।

उक्त घटना के सम्बन्ध में मृतक के दूसरे पुत्र अरविन्द अहिरवार पुत्र हरीहर उम्र करीब 26 वर्ष निवासी मु0 अमरैयां, ग्राम सिजहरी, थाना श्रीनगर जनपद महोबा द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी गई, जिसके आधार पर थाना श्रीनगर पर मु0अ0स0 93/2026 धारा 105/352 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग से संबंधित वांछित अभियुक्त महेश पुत्र हरिहर उम्र करीब 38 वर्ष निवासी ग्राम सिजहरी थाना श्रीनगर जनपद महोबा को पुलिस टीम द्वारा ग्राम सिजहरी स्थित गौशाला के पास रोड से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :

महेश पुत्र हरिहर, उम्र करीब 38 वर्ष, निवासी ग्राम सिजहरी थाना श्रीनगर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :

1.व0उ0नि0 विजय बहादुर सिंह 2.रि0का0 नीरज गुप्ता 3.रि0का0 कुलदीप गौतम